छत्तीसगढ़ शास

श्रम विभाग दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 18.07.2012

कमांक एफ 11—2/2012/16 भवन एवं अन्य सिन्नामीण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996 (केन्द्रीय अधिनियम 1996 की संख्या 27) की धारा 62 एवं 40 द्वारा प्रवत्त शक्तियों को प्रयोग मं लाते हुये, राज्य सरकार, विशेषज्ञ सिमित की परामर्श पश्चात्, एतद् द्वारां, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सिन्नामीण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्तो का विनियमन) नियम 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है। यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव अर्थात दिनांक 08 मई 2008 से प्रवृत्त होगा, अर्थात :-

संशोधन

- उक्त नियमों में. -
- 1. नियम 272 के उप नियम (2) में, शब्द " पच्चीस रूपये" के स्थान पर, शब्द "तीन वर्ष के लिए एक रू." प्रतिस्थापित किया जाये।
- नियम 272 के उप नियम (7) में, शब्द "पच्चीस रूपये" के स्थान पर, शब्द "दस रू."
 प्रतिस्थापित किया जाये।
- 3. नियम 277 के उप—िनयम (1) की सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित पारणी प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात:—

प्रसुविधाएं तथा सामान्य कल्याणकारी कियाकलाप

स.क.		प्रसुविधा	न्यूनतम वर्षों की संख्या, जिसके लिए					
			किसी हिताधिकारी द्वारा प्रसुविधा हेतु					
			पात्र होने के लिए निधि में अंशदान					
			किया हुआ होना चाहिए.					
(1)		(2)	(3)					
1.	पेंशन							
	1.1	वृद्धावस्था पेंशन	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा					
	1.2	परिवार पेंशन	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा					
	1.3	निःशक्तता	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा					
2.	गृह ि	नेर्माण सहायता						
	2.1	मकान के कय या निर्माण के लिए ऋण	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा					
	2.2	किसी गृह निर्माण हेतु वित्तीय संस्था से	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा					
		लिए गए गृह निर्माण ऋण हेत् ब्याज						
		सब्सिडी						
3.	शिक्षा	सहायता						
	3.1	छात्रवृत्ति	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा					
	3.2	शिक्षा ऋण	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा					
	3.3	किसी वित्तीय संस्था से लिए गए शिक्षा	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा					
		ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी						
	3.4	मेधावी छात्रों को नगद पुरूस्कार	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा					

आय	संवर्धन के लिए सहायता						
4.1	आजारों तथा छोटी मशीनों के कय हेतु	मंडल	द्वारा	यथा	निधरित	समय	
	ऋण				2 (0		
4.2	अनुपूरक आय अर्जित करने वाले	मंडल	द्वारा	यथा	निधारित	समय	सामा
	कियाकलापों के लिए ब्याज सब्सिडी						
विवाह	सहायता	मंडल	द्वारा	यथा	निधारित	समय	सीमा
		मंडल	द्वारा	यथा	निर्धारित	समय	सीमा
		मंडल	द्वारा	यथा	निर्धारित	समय	सीमा
8.1	समृह बीमा						
8.2		मंडल	द्वारा	यथा	निर्धारित	समय	सीमा
	सहायता						
मृत्यु के मामलें में सहायता							
9.1	अंतिम संस्कार सहायता				Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owne	NAME AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY.	
9.2	अनुग्रह राशि भुगतान	मंडल	द्वारा	यथा	निर्धारित	समय	सीमा
	4.1 4.2 विवाह चिकित प्रसूति बीमा 8.1 8.2 मृत्यु व 9.1	 अनुपूरक आय अर्जित करने वाले कियाकलापों के लिए ब्याज सब्सिडी विवाह सहायता चिकित्सा सहायता प्रसूति सहायता 8.1 समूह बीमा 8.2 बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए सहायता मृत्यु के मामलें में सहायता 9.1 अंतिम संस्कार सहायता 	4.1 औजारों तथा छोटी मशीनों के कय हेतु मंडल ऋण 4.2 अनुपूरक आय अर्जित करने वाले कियाकलापों के लिए ब्याज सब्सिडी विवाह सहायता मंडल चिकित्सा सहायता मंडल प्रसूति सहायता मंडल बीमा सहायता मंडल बीमा सहायता मंडल हि.2 बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए मंडल सहायता मंडल सहायता मंडल अ.1 अतिम संस्कार सहायता मंडल मंडल मंडल सहायता मंडल मंडल मंडल मंडल मंडल मंडल मंडल मंडल	4.1 औजारों तथा छोटी मशीनों के कय हेतु मंडल द्वारा ऋण 4.2 अनुपूरक आय अर्जित करने वाले कियाकलापों के लिए ब्याज सब्सिडी विवाह सहायता मंडल द्वारा चिकित्सा सहायता मंडल द्वारा प्रसूति सहायता मंडल द्वारा विमा सहायता मंडल द्वारा विमा सहायता मंडल द्वारा विमा सहायता मंडल द्वारा विमा प्रामियम के भुगतान के लिए मंडल द्वारा सहायता 8.1 समूह बीमा मंडल द्वारा सहायता 8.2 बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए मंडल द्वारा सहायता मृत्यु के मामलें में सहायता 9.1 अंतिम संस्कार सहायता मंडल द्वारा	4.1 औजारों तथा छोटी मशीनों के कय हेतु ऋण 4.2 अनुपूरक आय अर्जित करने वाले कियाकलापों के लिए ब्याज सब्सिडी विवाह सहायता मंडल द्वारा यथा चिकित्सा सहायता मंडल द्वारा यथा प्रसूति सहायता मंडल द्वारा यथा विमा सहायता मंडल द्वारा यथा बीमा सहायता 8.1 समूह बीमा मंडल द्वारा यथा संडल द्वारा यथा संडल द्वारा यथा संडल द्वारा यथा मंडल द्वारा यथा	4.1 औजारों तथा छोटी मशीनों के कय हेतु ऋण 4.2 अनुपूरक आय अर्जित करने वाले कियाकलापों के लिए ब्याज सब्सिडी विवाह सहायता चिकित्सा सहायता प्रसूति सहायता है.1 समूह बीमा 8.2 बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए सहायता मृत्यु के मामलें में सहायता 9.1 अतिम संस्कार सहायता मंडल द्वारा यथा निर्धारित मंडल द्वारा यथा निर्धारित	4.1 औजारों तथा छोटी मशीनों के कय हेतु ऋण 4.2 अनुपूरक आय अर्जित करने वाले कियाकलापों के लिए ब्याज सब्सिडी विवाह सहायता चिकित्सा सहायता प्रसूति सहायता है से समूह बीमा 8.1 समूह बीमा 8.2 बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए सहायता मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय

छत्तीसगढ़ के राज्यमाल के नाम से तथा आवशानुसार

(जीo आरo मालवीय) उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

NOTIFICATION

No F 11-2/2012/16 In exercise of the powers conferred by Section 62 and 40 of Building & Other Construction Worker's (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (Central Act No. 27 of 1996), the State Government, after consultation with the Expert Committee, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Building and Other Construction Worker's (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008. This amendment shall come into force with retrospective effect i.e. from 8th May 2008, namely:-

AMENDMENT

In the said rules, -

- 1. In sub-rule (2) of rule 272, for the words "Rs. Twenty five" the words "Rs. one for three years" shall be substituted.
- 2. In sub-rule (7) of rule 272, for the words "Rs. Twenty five" the words "Rupees Ten" shall be substituted.

For Table of sub-rule of rule 272, the following Table shall be substituted, namely:-

"TABLE"
Benefits and General Welfare Activities

S.No.		Benefit	Minimum number of years for which a beneficiary should have contributed the subscription for becoming eligible for the benefit				
(1)		(2)	(3)				
1.	Pens	ion					
	1.1	Old Age Pension	Time limit as decided by Board				
	1.2	Family Pension	Time limit as decided by Board				
	1.3	Disability	Time limit as decided by Board				
2.	Assi	stance for Housing					
	2.1	Loan for Purchase or	Time limit as decided by Board				
		construction of House.					
	2.2	Interest Subsidy for Housing	Time limit as decided by Board				
		Loan, taken from a housing					
		finance institution.					
3.	Edu	cation Assistance					
	3.1	Scholarship	Time limit as decided by Board				
	3.2	Education Loan	Time limit as decided by Board				
	3.3	Interest Subsidy for Education	Time limit as decided by Board				
		Loan taken from a financial					
		institution					
	3.4	Cash award to meritorious	Time limit as decided by Board				
		students					
4.	Assis	tance for Income Augmentation					
	4.1	Loan for purchase of Tools &	Time limit as decided by Board				
		Small machines					
	4.2	Interest subsidy for	Time limit as decided by Board				
		Supplementary Income					
5		generating activities					
	Marr	iage Assistance	Time limit decided by Board				
	Medical Assistance		Time limit decided by Board				
		rnity Assistance .	Time limit decided by Board				
		ance Assistance					
		Group Insurance	Time limit as decided by Board				
	8.2	Assistance for payment of	Time limit as decided by Board				
		Insurance Premium					
		tance in Case of Death					
).	Assis	tance in Case of Death	Time limit as decided by Board				
		Funeral Assistance	Time limit as decided by Board				

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh

(G.R. Malviya)
Deputy Secretary
Govt. of C.G. Labour Deptt.

पृष्ठांकन क0 एफ 11-2/2012/16

प्रतिलिपि:-

- 1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
- 2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
- 3. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
- 4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ०ग०)
- 5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ०ग०)
- 6. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ०ग०)
- 7. सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी(छ०ग०)
- 8. उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा(छ०ग०)
- 9. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग